

1[नियम 67क : अल्प संदेशकारी सेवा सुविधा द्वारा विवरणी या जावक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की रीति

इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, जिससे कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-3ख में शून्य विवरणी या धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के शून्य ब्यौरे या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8 में शून्य विवरण प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने के प्रति किसी निर्देश में रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या का प्रयोग करने वाली अल्प संदेशकारी सेवा के माध्यम से जावक प्रदायों की उक्त विवरणी या ब्यौरे या विवरण प्रस्तुत करना सम्मिलित होगा और जावक प्रदायों की उक्त विवरणी का किसी रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या आधारित वन टाइम पासवर्ड सुविधा द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजन के लिए, जावक प्रदायों की शून्य विवरणी या उनके शून्य ब्यौरे या शून्य विवरण से किसी कर अवधि के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी या धारा 37 के जावक प्रदायों के ब्यौरे या नियम 62 के अधीन विवरण अभिप्रेत होगा, जिसमें, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3ख या प्ररूप जीएसटीआर-1 या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8 की सभी सारणियों में कुछ नहीं है या कोई प्रविष्टि नहीं है।]

- 1 अधिसूचना क्रमांक 79/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 15.10.2020 द्वारा नियम 67क प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.10.2020)। ये प्रावधान अधिसूचना क्रमांक 44/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 08.06.2020 द्वारा दिनांक 08.06.2020 से प्रभावशील किए गए। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"A[नियम 67क : लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रबंध

इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तिके मामले में जिसे धारा 39 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में किसी कर की अवधि 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो या जिसका धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 में किसी कर अवधि का जावक आपूर्तियों का ब्यौरा शून्य हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित "वन टाइम पासवर्ड" की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी या शून्य जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का मतलब, किसी कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन कोई ऐसी विवरणी या धारा 37 के अधीन कोई ऐसी जावक आपूर्तियों का ब्यौरा है, जिसमें प्ररूप जीएसटीआर-3ख या प्ररूप जीएसटीआर-1 की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्टि ना हो, जैसी भी स्थिति हो।]"

- A पहले अधिसूचना क्रमांक 58/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2020 द्वारा नियम 67क प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2020) किया गया था। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"B[नियम 67क : लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्रबंध

इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिससे धारा 39 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में किसी कर अवधि की 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त रिटर्न का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित 'वन टाइम पासवर्ड' की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी का मतलब धारा 39 के अधीन किसी कर अवधि से संबंधित कोई ऐसी विवरणी है जिसमें प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्टि ना हो।]"

- B इसके पहले अधिसूचना क्रमांक 38/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 05.05.2020 द्वारा यह नियम 67क अंतःस्थापित किया गया था।